

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्
MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL

(Estb. on 1-4-1996 U/s 3 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Tele: (0755) 2767786

Fax : (0755) 2551568

Email: registrar.mpmc@mp.gov.in



F-7, Sanchi Complex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462 016

Web: www.mpmcouncil.net

क्रमांक एमपीएमसी / विविध / 2020 / 2256

भोपाल, दिनांक 24/5/2020

— महत्वपूर्ण सूचना —
(ऐलोपैथिक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हेतु)

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के ईमेल दिनांक 04 मई 2020 में प्रदत्त निर्देशों के पालनार्थ एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के समस्त ऐलोपैथिक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को सूचित किया जाता है कि इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट, एडिकेट एण्ड ईथिक्स) रेगुलेशन 2002 में रेगुलेशन क्रमांक 3.8 (3.8.1 से 3.8.6 तक) जोड़ा गया है। जिसमें रेगुलेशन्स 2002 के परिशिष्ट -5 में दिये गये टेलीमेडिसीन प्रैक्टिस दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को टेलीमेडिसीन के जरिए परामर्श की अनुमति प्रदान की गई है।

टेलीमेडिसीन द्वारा परामर्श से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाईट www.mciindia.org पर उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से पंजीकृत समस्त ऐलोपैथिक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स उनके कार्य क्षेत्र / व्यक्तिगत संपर्क से जुड़े समस्त चिकित्सकों / चिकित्सा संस्थाओं / स्वास्थ्य केन्द्र संस्थाओं को भी इस संबंध में अवगत करावें।

(डा० सुबोध मिश्रा)
एम.डी.

रजिस्ट्रार
म.प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल